ढाँचा नं. 2

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, 2075

अनुसूची–२५

(नियम ७८ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत किताबको ढाँचा

........................अदालत

दण्ड, जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत किताब

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | लगत नम्बर | मुद्दा | मुद्दा नं. | बादी/जाहेरवाला | **लगत रहेको व्यक्तिको** | **शुरु लगत** | **पुनरावेदन तहबाट कायम लगत**[[1]](#footnote-1)• | सजाय स्थगन हुने भए सोको बेहोरा | लगत कस्नेको नाम र दस्तखत | लगत प्रमाणित गर्नेको नाम र दस्तखत | लगत कट्टा हुने मिति | लगत कट्टा मिति र बेहोरा | लगत कट्टा गर्नेको नाम र दस्तखत | कैफियत |
| **उच्च अदालतबाट** | **सर्वोच्च अदालतबाट** |
| अदालतको नाम | कायम भएको लगतको विवरण | फैसला मिति | कायम भएको लगतको विवरण | फैसला मिति |
| फैसला गर्ने अदालत | फैसला मिति | लगतकोविवरण |
| नाम थर | उमेर | वतन (स्थायी/अस्थायी) | बाबु/बाजेको नाम | कैद | जरिवाना | बिगो | क्षतिपूर्ति | अन्य रकम |
| लागेको | असुल भएको | बाँकी | लागेको | असुल भएको | बाँकी |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. • पुनरावेदन तहबाट सुरु फैसला सदर भएमा सुरुबाट कायम भएको लगतको विवरण महलमा सोही बेहोरा जनाउनुपर्ने छ । सुरु लगत परिवर्तन हुने गरी फैसला भएमा सो महलमा परिवर्तित लगत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । [↑](#footnote-ref-1)